भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ड.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ङ.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ङ.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ङ.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ङ.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ड.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ङ.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ङ.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) **राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता**

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ड.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ड.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) **राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता**

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1158

उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री

(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ड.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ड.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ङ.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ड.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री

(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ड.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) **राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता**

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ङ.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ङ.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ङ.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ङ.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ड.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) **राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता**

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री

(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ड.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ङ.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ड.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. **श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :**
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री

(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ड.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ङ.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री

(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ङ.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ङ.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ङ.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ड.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ड.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ङ.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री

(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ड.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) **राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता**

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री

(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ङ.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ड.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ङ.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ङ.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री

(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ङ.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ङ.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ड.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री

(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ड.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ड.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. **श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :**
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री

(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ङ.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री

(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ड.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ङ.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ङ.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ड.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ङ.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) **राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता**

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री

(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ड.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ङ.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री

(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ङ.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री

(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ड.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीमः इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) **राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता**

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ड.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ङ.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ड.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ड.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री

(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ड.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) **राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता**

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ङ.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ड.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ड.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री

(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ड.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री

(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ड.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ङ.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ड.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) **राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता**

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ङ.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ङ.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ड.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ङ.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री

(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ड.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ङ.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री

(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ड.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) **राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता**

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ङ.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री

(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ड.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री

(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ङ.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	**स्कीम का नाम**	**राज्य**											
		छत्तीसगढ़						**राजस्थान**					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	**राशि**	**मामलों की सं.**	**राशि**	**मामलों की सं.**	**राशि**	**मामलों की सं.**	**राशि**	**मामलों की सं.**	**राशि**	**मामलों की सं.**	**राशि**
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री

(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ड.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ड.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ङ.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री

(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ङ.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ङ.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ङ.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ड.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ङ.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ड.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ङ.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री

(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ड.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	**राशि**	**मामलों की सं.**	**राशि**	**मामलों की सं.**	**राशि**	**मामलों की सं.**	**राशि**	**मामलों की सं.**	**राशि**	**मामलों की सं.**	**राशि**
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री

(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ङ.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. **श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :**
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ङ.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री

(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ङ.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1158

उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ड.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ङ.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ड.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ङ.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ड.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1158
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना

1158. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री जय प्रकाश :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री विवेक ठाकुर :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री शंकर लालवानी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे संगठनों और व्यष्टि कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंडों को आसान बनाने के लिए योजना के अंतर्गत कोई सुधार प्रस्तावित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए, जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) निधि के उपयोग का भौतिक सत्यापन के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई स्थानीय उत्सव या कोई राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सहित देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या और इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार एक सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि को प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के प्रभावी उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है।

(ड.): जी, हां।

(च): उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा नवंबर, 2025 माह में सीधी, मध्य प्रदेश में बुंदेली बघेली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना' के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1158 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को संवर्धन और सहयता प्रदान करने के लिए यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00

लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य में जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य											
		छत्तीसगढ़						राजस्थान					
		2022-23		2023-24		2024-25		2022-23		2023-24		2024-25	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0	0	1	37.50	1	26.25	2	27.50
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	3	5.50	4	7.50	3	6.42	48	81.16	57	46.28	24	44.55
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	1	7.50	0	0	0	0	1	7.50	0	0	0	0